ई–मेल

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(6)खान / ग्रुप–2 / 2015 / पार्ट–Rules I जयपुर दिनांकः 19 JUL 2019

निदेशक,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

विषयः डी.एम.एफ.टी राशि वसूली की प्रभावी दिनांक बावत।

संदर्भः निदेशालय का पत्रांक निदे / डी.एम.एफ.टी / रूल्स–पार्ट–2 / 2016–17 / 429 दिनांक 31.05.2019 के क्रम में।

महोदय,

3860
29-7-19

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदंर्भित पत्र क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में डी.एम.एफ.टी राशि वसूली की दिनांक के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है जो निम्नानुसार हैः–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसारः–
   (अ) कोल, लिग्नाईट और सेण्ड (स्टोविंग हेतु) के अतिरिक्त अन्य माइनिंग लीज अथवा प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लीज पर डी.एम.एफ.टी की राशि दिनांक 17.09.2015, जब केन्द्र सरकार द्वारा रेट निर्धारित की गई है, से लागू होगी।
   (ब) कोल, लिग्नाईट एवं सेण्ड (स्टोविंग हेतु) की माइनिंग लीज अथवा प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लीज पर डी.एम.एफ.टी की राशि दिनांक 20.10.2015, जब से केन्द्र सरकार द्वारा रेट निर्धारित की गई या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से डी.एम.एफ.टी स्थापित किये गये, दोनों में से जो भी बाद में हो, की तिथि से लागू होगी।

DMFT
29.7.2019

2. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अप्रधान खनिजों पर डी.एम.एफ.टी की राशि डी.एम.एफ.टी नियम लागू होने की दिनांक 31.05.2016 से लागू होगी।

अतः डी.एम.एफ.टी राशि वसूली की दिनांक के संबंध उक्तानुसार कार्यवाही की जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

ADA

भवदीय,

19.7.2019

(डॉ0 बी.डी. कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव